and date of their categorisation is as under:—

Name of the airports	Date of categorisation
Hyderabad	9.5.94
Tirupati	10.2.96
Vishakhapatnam	6.6.84

(c) Airports are kept operational only when airlines operate regular flights.

Outcome of investigation conducted on accident of Archana Airways Plane

1938. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the fact that a Archana Airways Plane met with accident on May 18, 1996 at Civil Aerodrome, Kanpur Cantt;

(b) if so, whether any enquiry was constituted in the matter so far;

(c) if so, the result thereof and the action taken thereon; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The investigation report is under examination.

(b) Does not arise.

Foreign investors in Civil Aviation Industry

1939. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal under consideration to ask the foreign investors who had invested in Civil Aviation industry to withdraw and go back to their countries;

(b) if so, the details of the proposal and the reasons therefor; and

(c) whether such a proposal is in tune with liberalisation policy?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) A proposal to review the policy on domestic air transport services including foreign investment in this sector is under consideration of the Government.

दूरदर्शन में तबादला संबंधी नीति

1940. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) दूरदर्शन के अधिकारियों / कर्मचारियों के मामले में तबादला संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अहमदाबाद और राजकोट के दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों ने विभिन्न अवसरों पर यह मांग की है कि उनकी नियुक्ति उनके संबंधित क्षेत्रों में की जाए;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें उनके संबंधित क्षेत्रों में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने उनकी नियुक्ति उनके संबंधित केन्द्रों में कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) राजकोट में सरकार द्वारा अब तक सम्पदा सहायक के पद को न भरे जाने के क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहिम): (क) स्थानान्तरण नीति के अनुसार लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं के अधीन "क" और "ख" वर्गीकृत केन्द्रों / कार्यालयों में सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष है तथा "ग" वर्गीकृत केन्द्रों / कार्यालयों में 2 वर्ष है। इसके अतिरिक्त इसमें यह प्रावधान है कि "क" और "ख" के रूप में वर्गीकृत केन्द्रों में तैनात अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण 4 वर्ष की सामान्य अवधि की समाप्ति के बाद नेमी रूप से नहीं किया जाए।

(ख) से (ङ) दूरदर्शन महानिदेशक को स्थानान्तरण हेतु 4 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 3 अधिकारियों को पहले ही स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा एक अधिकारी के अनुरोध को प्रशासनिक कारणों से माना नहीं जा सका।

(च) दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट में ऐसा कोई पद नहीं है।